

देवघर समाहरणालय
जिला पंचायत राज कार्यालय, देवघर

विज्ञापन प्रारूप

15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत अनुमान्य अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित्त पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने के क्रम में पंचायतों में कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न सेवाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं –

क्र0	सेवा का नाम	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग					क्षेत्रिज आरक्षण संबंधी विवरणी
			ST	SC	BC-I	BC-II	UR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कनीय अभियन्ता	20	2	3	3	2	10	
2	लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर	39	05	05	05	04	20	नियमानुसार लागू

नोट—आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका द्वारा कोटिवार आरक्षण रोस्टर स्वच्छ किये जाने के प्रत्याशा में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। अन्तिम रूप से रोस्टर किलयरेन्स में परिवर्तन होने पर कोटिवार आरक्षण में परिवर्तन हो सकता है।

2. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

- (a) पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे, जिसे जिले के वेबसाइट **deoghar.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को “जिला पंचायत राज पदाधिकारी, देवघर, पता—विकास भवन, देवघर समाहरणालय, देवघर पिन—814112”पर भेजना होगा।
- (c) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत् होगा :—

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियन्ता	500/-रुपये	सामान्य
		300/-रुपये	अ0जा�0,अ0ज0जा0 एवं महिला
2	लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/-रुपये	सामान्य
		300/-रुपये	अ0जा�0,अ0ज0जा0 एवं महिला

- (d) आवेदन जमा करने की तिथि –17 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक

3. सेवा अनुबन्ध हेतु पैनल में चयन हेतु योग्यता एवं अन्य शर्तों से संबंधित विवरणी जिले के वेबसाइट (deoghar.nic.in**) पर देखा जा सकता है।**

ह0/-
उपायुक्त,
देवघर।